फर्द अहकाम

गिर्राज **बनाम** मुकेश

यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सीप्रार्थना पत्र 63/2023

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.01.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 9 के विरूद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 593/1 रकबा 0.7461 है0, ख0नं0 593/2 रकबा 0.7587 है0, ख0नं0 593/3 रकबा 0.3668 है0, ख0नं0 593/4 रकबा 0.1012 है0, ख0नं0 593/5 रकबा 0.9737 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.9464 है0 स्थित ग्राम जटवाडा पटवार हल्का जटवाडा भू0अ0नि0 बांसखोह तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 70/2023 गिर्राज बनाम मुकेश के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	